बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–12/चक0–यो0–05–01/2021...../चक0, दिनांक .....

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 54/चक0 दिनांक 19.01.2018 द्वारा राज्य के चकबंदी योजना से आच्छादित 141 अंचलों में अधिकारियों एवं कर्मियों के आभाव में चकबंदी योजना असक्रिय रूप से संचालित हो रहे थे, उन क्षेत्रों में वैसे जिलों एवं अंचलों में जनता के हितों को देखते हुए बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3(1) से आच्छादित जिलों एवं अंचलों का चकबंदी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चकबंदी अधिनियम की धारा 4(क) के प्रावधान के अधीन चकबंदी योजना के परिचालन को अधिसूचना की तिथि से निर्गत किया गया था।

गया जिला के आमस अंचल के निम्नांकित राजस्व मौजें जो चकबंदी योजना से आच्छादित है, के भू–अर्जन से संबंधित सरकार के स्तर से कार्रवाई करने में चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के अंतर्गत अनाधिसूचित करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त मामले में सरकार की सहमति प्राप्त करते हुए जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 4(क) में अनाधिसूचित राजस्व ग्रामों की पूर्व से निर्गत अधिसूचना सं0 54/चक0 दिनांक 19.01.2018 को विलोपित करते हुए चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत पुनः चकबंदी कार्य प्रारंभ करने हेतु आच्छादित की जाती है। वैसे राजस्व ग्राम जिन्हें चकबंदी अधिनियम की धारा 4(क) से मुक्त किया जाता हैं, जो निम्न है :–

क्र0	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं0
1	आमस	सिमरी	533
2		बनकट	483
3		करमाईन	480
4		अलहुआचक	456
5		अकौना	455
6		हमजापुर	451

7		झरी	528
8		मझौलीया	552
9		मझौलीया	524
10		लेम्बुआ	551

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या–12/चक0–यो0–05–01/2021...../चक0, दिनांक .....
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजअकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या–12/चक0–यो0–05–01/2021.524.../चक0, दिनांक 24/05/2022
प्रतिलिपि –समाहर्त्ता, गया/अपर समाहर्त्ता, गया/उप निदेशक, चकबंदी (के0 यो0), गया/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया/चकबंदी पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
20/5/22
सरकार के संयुक्त सचिव।